
Recognition of Mithi Gobindram Public School under RTE Act 2009, extended up to 31/03/2022 vide Govt. orders, which are applicable to all the schools in Madhya Pradesh, appended below :



PRINCIPAL Mithi Gobindram Public School Sant Hirdaram Nagar, BHOPAL (लोकेश कुमार जाटव) आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र

भोपाल, दिनांक २० 1-२।

पृ.कंमाक/राशिके/आरटीई/2020/337

1

प्रतिलिपिः-निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।

- प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल। 2
- आयुक्त, जनसंपर्क भोपाल म.प्र. की और प्रचार-प्रसार हेतु। 3
- आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर भोपाल। 4
- राज्य सूचना एवं विज्ञान केन्द्र एन.आई.सी विध्यांचल भवन भोपाल। 5
- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश। 6
- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश। 7
- समस्त जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र की और उपरोक्तानुसार कार्यवाही वावत। 8

आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र

ALO,

PRINCIPAL Mithi Gobindram Public School Sant Hirdaram Nagar, BHOPAL

मध्यप्रद्रेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल–462004

कमांक एफ 37-2/2020/20-3

भोपाल, दिनांक 31/12/2020

/ / परिपन्न / /

विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.05.2020 द्वारा ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक / माध्यमिक विद्यालय जिनकी मान्यता 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई है, उन्हें मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रक्रिया से छूट प्रदान प्रदान करते हुए विद्यालयों की मान्यता दिनांक 31 मार्च 2021 तक की समयावधि हेतु यथावत मान्य किया गया था।

2/ राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक/राशिके/आरटीई/2020/8225 दिनांक 14.12.2020 द्वारा शैक्षणिक सन्न 2021–22 के लिए निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के तहत संचालित ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों हेतु नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण हेतु एनआईसी के आस्टीई पोर्टल पर दिनांक 18.12.2020 से 18.01.2021 तक ऑनलाइन आवेदन करने हेतु समय सीमा नियत की गई है।

3/ वर्तमान कोविड 19 संकमण के दृष्टिगत अशासकीय संस्थाओं को होने वाली कठिनाईयों एवं छात्रहित को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन एतद हारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 21 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते है:-

3.1 निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के तहत प्रदेश में संचालित ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय को मान्यता नवीनीकरण हेतु वर्तमान में प्रचलित प्रकिया से छूट प्रदान करते हुए उक्त विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण को दिनांक 31 मार्च 2022 तक की समयावधि हेतु यथावत मान्य किया जाए।

3.2 शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए नवीन मान्यता एवं कक्षा वृद्धि हेतु जिन शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 के अनुसार आरटीई मोबाईल एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया गया है उनका निराकरण नियम में विहित प्रक्रिया अनुसार निराकृत किया जाए।

3.3 उपयुक्तानुसार ऐसी समस्त संख्याओं को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में वर्णित विद्यालय संचालन हेतु आवश्यक मापदण्डों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

निर्देशानुसार समस्त संबधितों द्वारा उक्त निर्देशों के पालन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

PRINCIPAL

PRINCIPAL Mithi Gobindram Public School Sant Hirdaram Nagar, BHOPAL

(र्क.के.द्विवेदी) उप सचिव म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

School Recognition Certificate generated and downloaded from Education Portal [www.educationportal.mp.gov.in]

प्ररूप 2 (नियम 11 (4) देखिए) लिला का अधिकार सर्वे क्रिस्ट अधियान सन्द पर्वे स्टब्र

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (BHOPAL), मध्यप्रदेश फैक्सः

दरभाषः-

ई-मेलः

दिनांक:- 01/05/2017

कमांक:/3221121730/स्कुल आई.डी. - 25458 प्रति,

प्रवंधक,

(MITHI GOBINDRAM PUBLIC SCHOOL)

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया.

आपके आवेदन पत्र दिनांक 01/01/1900 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कल -MITHI GOBINDRAM PUBLIC SCHOOL, SANT HIRDARAM NAGAR, BAIRAGARH, BHOPAL (MADHYA PRADESH) को कक्षा 1 से कक्षा 8th तक के लिए दिनांक 01/04/2017 से 31/03/2021 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शतों की पुति के अध्यधीन होगी:-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवर्धित नहीं होगी। स्कूल निःशुल्क और अनिवायं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवायं बाल शिक्षा का
- अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा। स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वग के बालकों को कक्षा 1 में न्युनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस
 - दर्षा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवंषित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देशा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हुंतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्रि-स्कूल में प्रवंश के लिए लागू होंगे।
 - पैरा 3 में निदिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
 - सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानवीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
 - म्कुल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
 - आयु के सबूत के अभाव में; (क)
 - यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पण्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है; (ख)
 - धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर। (ग)
 - स्कूल सुनिधित करेगा कि-
 - किसी स्कृल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
 - किसी बालक को षारोरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रसाण पत्र दिया जाएगा;
 - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त/विशेश आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
 - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्युनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अहुता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अहुता प्राप्त करनी होगी ;
 - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन बिजिस्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
 - प्रायवंट टीचिंग की गतिविधियाँ में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगेलेंगी।
 - स्कूल समुचित प्राधिकारी व्दारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
 - अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में वच्चों का नामांकन किया जाएसा।

RINCIPAL

Mithi Gobindram Public School Sant Hirdaram Nagar, BHOPAL

Report Generated from www.educationportal.mp.gov.in/ Date: 25/11/2020

Mithi Gobindram Public School Sant Hirdaram Nagar, BHOPAL

PRINCIPAL

भवदीय, जिला चिंक्षा अधिकारी जिला BHOPAL

सदयप्रतेश

नम्बर संदर्भित किए जाएं। ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल व्दारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी व्दारा समय-समय पर अपोक्षित की जाए.

आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..3221121730. एवं डाईसकोड (DISE)23320300411 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड

लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।

लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टड एकाउन्टेंट व्दारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक

हौ हौ क्या अस्ति सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हां/नहीं

और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेवों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शतौ की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हुंतु जारी किए जाएं।

सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।

अन्य शर्तं संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी। अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शतों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

स्कूल का निमित क्षेत्रफल (वरा फीट में) 55051 55051 खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) 45441 45.441 अधोसंरचना का विवरण वास्तविक स्थिति पोर्टल में दुज़ें Rooms as संख्या औसत आकार संख्या औसत आका कक्ष per RTE (वर्ग फीट में) (वरा फीट में) 567 24 कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष 24 567

3

0

जन्य सविधाएँ

390

0

3

0

पोर्टल में दर्ज

हौ

हौ

F

55

4

8

3

0

15135

Tube Well

Western

Both Indian &

390

n

वास्तविक स्थिति

FT

FT

हौ

5135

Tube Well

Western

Both Indian &

35

4

4

3

0

氍

2

重 業業

藍

.

2

重

囊

.

× 重載

臣王王王

#

H H

蒹 -

王王

載載

-景 篇 -

पोर्टल में दर्ज वास्तविक स्थिति सुविधाएँ किराए का भवन किराए का भवन स्कूल के अवन की स्थिति स्कुल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) 101495 101495

उपलब्ध सुविधाएं निम्नान्सार पाई गयी:-

कार्यालय कक्ष-सह-अण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक

क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है हां/नहीं

खेलकद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)

पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)

11

己.

1

2

3

च.

1

2

3

4

5

6

7

8

0

10

11

12

INVESTIGATION OF

कक्ष

ओजनालय-सह-भण्डार

पुस्तकों की संख्या

पत्रिकाएं/समाचार पत्र

पंगजल सुविधा का प्रकार

पंगजल सुविधा की संख्या

शौंचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नहीं)

लडकों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या

लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या

विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या

School Recognition Certificate generated and downloaded from Education Portal [www.educationportal.mp.gov.in] स्कूल व्यारा अधिनियम की धारा 19 में विनिदिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में

Page 2 of 2